राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या –107/2014/डूंगरपुर

1. खुशीलाल, पिसरान लक्ष्मीचन्द जैन, निवासी–बेहना, तहसील–जिला–डूंगरपुर।
2. नवीनलाल, पिसरान लक्ष्मीचन्द जैन, निवासी–बेहना, तहसील–जिला–डूंगरपुर।
3. अमृतलाल पुत्र हेमचंन्द जैन, निवासी–पाडली गजेश्वर, तहसील–सीमलवाड़ा, जिला–डूंगरपुर।
4. जयन्तीलाल पुत्र कपूरचन्द जैन, निवासी–कटीसोर, तहसील–आसपुर, जिला–डूंगरपुर
5. अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री साकलचन्द जैन (मृतक) के स्थान पर वारिसानः–

    श्रीमति सरिता देवी पत्नि,
    संजय जैन पुत्र
    मंजय जैन, पुत्र
    जिम्मी जैन, पुत्र

सभी निवासी– रामगढ़, तहसील–आसपुर, जिला–डूंगरपुर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, डूंगरुपर।
2. दिनेश पुत्र चिमनलाल
3. योगेश पुत्र चिमनलाल
4. कमलेश पुत्र चिमनलाल
5. मु.जयलक्ष्मी पुत्री चिमनलाल
6. श्रीमति कमलादेवी, बेवा चिमनलाल,

सभी जाति– भोई, निवासी–न्यू कॉलोनी, तहसील व जिला–डूंगरपुर

.........अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक ....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27.04.2015

अप्रार्थी संख्या–3, 4 व 6 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री मोहम्मद फारूक द्वारा 08.09.2014 द्वारा उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या–3, 4, व 6 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री मोहम्मद फारूक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह **निवेदन किया गया है कि पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 में टंकरण त्रुटि के कारण निर्णय के पृष्ठ क्रमांक–1 में अप्रार्थी संख्या–3, 4, व 6 की ओर से उनका नाम अंकित होने से रह गया था, जबकि वक्त बहस दिनांक 13.05.2014 को वे स्वयम् अप्रार्थी संख्या–1 श्री अनिल पोखरणा के साथ अप्रार्थीगण संख्या–3, 4 व 6 की ओर से उपस्थित हुये थे। अतः पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 में अप्रार्थीगण संख्या–3, 4 व 6 की ओर से उनका नाम अर्थात श्री मोहम्मद फारूक अंकित कर, पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 को संशोधित करने की प्रार्थना की गयी।**

श्री मोहम्मद फारूफ्क, अभिभाषक प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक

लगातार............2

20.04.2015 को अनुपस्थित। विभाग की ओर से श्री जमील जई ने रिकॉर्ड पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन कर, पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 में श्री मोहम्मद फारूक का नाम अंकित करने का निवेदन किया गया।

श्री मोहम्मद फारूक, द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 का अवलोकन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली पर श्री मोहम्मद फारूक, द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा जो अप्रार्थी संख्या–3, 4 व 6 द्वारा हस्ताक्षरित है से स्पष्ट है कि संभवतः श्री मोहम्मद फारूक, बहस हेतु दिनांक 13.05.2014 को अप्रार्थीण संख्या–3, 4 व 6 की ओर से उपस्थित हुये थे। अतः अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 में अप्रार्थीगण संख्या–3, 4 व 6 की ओर से श्री मोहम्मद फारूक की उपस्थिति दर्ज की जाती है। अतः उक्त टंकण संबंधी भूल होने के कारण निर्णय के पृष्ठ कमांक 1 में उक्तानुसार श्री मोहम्मद फारूक का नाम अंकित किया जाता है । जिसे उक्तानुसार ही पढ़ा जाये।

परिणामतः, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

27.4.2015

(मदन लाल)
सदस्य